भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियां

डॉ0 टेक चन्द
असिस्टेंट प्रोफेसर, (राजनीति विज्ञान विभाग)
संघटक राजकीय महाविद्यालय, सहसवान, बदायूं
ईमेलः tekchand.kumar389@gmail.com

सारांश

अध्ययन से ज्ञात होता है कि सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत ने जब 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वाधीनता प्राप्त की तब प्रत्येक भारतीय जनमानस के मस्तिक में एक प्रमुख प्रश्न बार–बार उभर रहा था। कि अग्रेजों द्वारा आर्थिक रूप से दोहित, शोषित व सामाजिक और राजनैतिक रूप से छिन्न भिन्न एवं जर्जर भारत को किस प्रकार विकास की मुख्य धारा में लाया जाये। इसलिए भारत की जनता की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार कर उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए तत्कालीन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। किन्तु तत्कालीन लोकसेवकों के भ्रष्ट आचरण, लाल फीताशाही व जनता की अज्ञानता और असहयोग के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। वर्तमान में भी भारत में सुशासन की स्थिति बहुत ही दयनीय और खराब है। आज देश में जिस प्रकार गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता और अपराध बड़ रहे हैं उससे ज्ञात होता है कि आचार्य कौटिल्य और विश्व बेंक द्वारा सुझाये गये सुशासन के सूचकों या कारकों के आधार पर किसी भी सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग या संस्था में सुशासन व उसके कारक दिखाई नहीं देते। सभी स्थानों पर भृष्टाचार और नौकरशाही विद्यमान है। कहीं भी कोई भी लोकसेवक और जनप्रतिनिधि अपने आप को जनता के प्रति जबाबदेह और उत्तरदायी नहीं समझता। विधि का शासन और सूचना का अधिकार सब देश की भोलीभाली जनता को गुमराह करने या बहकाने की बातें हैं। वर्तमान में जिस प्रकार बड़े–बड़े घोटालों में विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, नौकरशाहों व जजों की संलिप्तता पाई जा रही है। उससे यही प्रमाणित होता है कि भारत में सुशासन का पूर्णतः अभाव है।

मुख्य शब्द

सुशासन, विधि का शासन, सूचना का अधिकार, नौकरशाही, लाल फीताशाही

Reference to this paper should be made as follows:
Received: 23-02-26
Approved: 05-03-26

डॉ0 टेक चन्द

भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियां

RJPP Oct.25-Mar.26,
Vol. XXIV, No. I,
Article No. 21
Pg. 192-201

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-mar-2026-vol-xxiv-no1--270

https://doi.org/10.31995/rjpp.2026.v24i01.021

सुशासन

सुशासन से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें न तो किसी प्रकार का भय हो, न भूख हो और न ही भृष्टाचार। कहने का तात्पर्य यह है कि सुशासन न केवल प्रशासनिक भृष्टाचार मुक्त शासन होगा अपितु प्रशासन में पारदर्शिता भी होगी। साथ ही साथ प्रशासन जनता के प्रति जबाबदेह और उत्तरदायी भी होगा। सुशासन एक ऐसी शासन प्रणाली होगी जिसमें जनता को सूचना का अधिकार भी प्राप्त होगा तथा सुशासन वैज्ञानिक व प्रशासनिक सिद्धान्तों पर आधारित शासन होगा। जिसमें प्रशासनिक दृष्टि से आदेश की एकता, पद सोपान नियंत्रण का क्षेत्र, भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति आदि की बेहतर व्यवस्था होगी। जिससे प्रशासन में मनोबल बना रहे तथा नियोक्ता कर्मचारी सम्बंध बेहतर बने रहेंगे। सुशासन में नौकरशाही का रूप आदर्श होगा और वह जनता के लिए कार्य करेगी। नौकरशाह जनप्रतिनिधि व मंत्री सम्बंध सहयोगात्मक, समन्वयात्मक एवं जन कल्याणकारी होंगे। सुशासन में संचार की उत्तम व्यवस्था होगी तथा नेतृत्व सही व्यक्ति के हाथ में होगा। प्रशासन का सम्बंध विकास से जुडा होगा तथा वित्तीय प्रशासन जनहितकारी उद्वेश्यों से परिपूर्ण होगा। प्रशासन में संलग्न लोग राष्ट्निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध होंगे।

मिनोचा के अनुसार – सुशासन वह है जहां राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की उपलब्धि कानूनपालक, नौकरशाही, उत्तरदायित्व व सूचना में पारदर्शिता जो प्रभावी एवं कुशल और सरकार तथा समाज में सहयोगी हो।

पनन्दीकर के अनुसार – सुशासन का अभिप्राय उस राष्ट्र राज्य से है जो जनता को शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित, समृद्ध, उचित सहभागितापूर्ण जीवन व्यवतीत करने के लिए निर्देशित करता है। Concise Oxford Dictionary 1990 – ने सुशासन की परिभाषा इस प्रकार दी है – संचालित करने के कार्य और रीति संचालित करने का कार्यकलाप तथा कार्य करना है जबकि शासन अन्य बातों के साथ–साथ राज्य और जनता आदि पर सत्तापूर्ण नियंत्रण तथा संगठन आदि की नीति और कार्यक्रमों को संचालित करना है। इसका अर्थ है कि राज्य में लोगों के कार्यों को नियमानुसार वैधानिक सत्ता द्वारा कार्यों का संचालन करना। अतः जनता को लोकतंत्र में आस्था होने के कारण सुशासन को जनता की सरकार जनता द्वारा और जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है।

भारत में सुशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

सुशासन का अध्ययन से वोध होता है कि भारत में प्राचीन काल में आदर्श राज्य अथवा रामराज्य सदशासन समकक्ष था। जोकि राजनीतिक विचारकों के लिए लम्बे समय तक स्वप्नदर्शी आदर्श बना रहा। सुशासन के सूचकों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है विशेषकर भारत में। एल एन शर्मा और सुनिता शर्मा ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सुशासन के दस सुचकों को इसलिए चुना है कि यह पुस्तक किसी भी पश्चिमी लेखक द्वारा लिखी गयी पुस्तक से श्रेष्ठ आधुनिक और व्यवहारिक शासकीय नियमों से परिपूर्ण है। राजतंत्र के युग में जहां असमानता विद्यमान थी उस दौर में केवल कौटिल्य ने राजा को जनता का सेवक या जन सेवक कहा है। उसने राजा को धर्म के अधिन रखा और कहा कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। राजा को अपना हित प्रिय नहीं होना चाहिए अपितु जनता का हित प्रिय होना चाहिए। प्राचीन राजनीति के प्रकाण्ड

पंडित आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में सुशासन के लिए दस सूत्र सूझाए गये हैं। जिनको व्यवहार में लाकर किसी भी युग में सुशासन स्थापित किया जा सकता है।

कौटिल्य द्वारा सूझाए गये सूचक –

1. राजा का अपना व्यक्तित्व कर्तव्य में विलय होना चाहिए – सुशासन के लिए आवश्यक है कि शासक को अपनी व्यक्तिकता को अपने कर्तव्यों हित में त्याग देना चाहिए। के0 पी0 जायसवाल ने कौटिल्य के राजा के लिए संवैधानिक दास शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि संवैधानिक सरकार पर संवैधानिक प्रतिबंध होते हैं। सुशासन में शासन निरंकुश असीमित तथा सत्तावादी नहीं हो सकता। क्योंकि कौटिल्य का राजा साप्तांग की सलाह पर कार्य करता था। शासक का नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता कि वह अपने कार्यों का समय पर सुचारू रूप से परिपालन करे। आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन में राजनीति पर लोकनीति का नियंत्रण देखने को मिलता है। आचार्य कौटिल्य ने राजकीय दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यह व्यवस्था की थी कि केवल राजनीति और सरकार पर ही नहीं अपितु समाज पर भी अंकुश होना चाहिए और इसके लिए कौटिल्य ने दण्ड नीति का प्रवधान किया था।

2. उचित निर्देशित शासन – जनता के कल्याण के लिए दूसरा सूचक उचित निर्देशित शासन का होना है। उचित मार्ग दर्शन के अभाव में व्यक्तिगत प्रतिबद्धता परिवार अथवा उसकी इच्छा और सनक सम्मिलित नहीं है। इसका आशय यह है कि लोक सेवक अपनी प्रकृति के कारण संवेदनशील उत्तरदायी नहीं होता है। औपनिवेशिक विरासत के कारण यह और भी सत्य है। संघात्मक व्यवस्था में लोकसेवक सेवक बनने के बजाय स्वामी और माई–बाप बन जाते हैं।

3. लक्ष्य की उपेक्षा किए बिना अतिशय से बचना – सुशासन में लक्ष्य की उपेक्षा किये बिना अतिशय से बचना चाहिए। इसका आशय यह है कि राज्य को जनहित में कार्य करना चाहिए न कि विदेशी इकाइयों के दबाब में कठोर कदम उठाना चाहिए। 15 अगस्त 1999 को देश के तत्कालीन राष्ट्पति श्री के0 आर0 नारायण जी ने देश के नाम अपने संम्बोधन में चेतावनी देते हुए कहा था कि लापरवाह उदारीकरण से समाज के कुछ लोगों की उन्नती होगी जबकि बहुसंख्यक निःसहाय हो जायेंगे। महान राजनीतिक विचारक आचार्य कौटिल्य का कहना था कि राज्य कृषि, व्यापार, उद्योग तथा पशुपालन के विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

4. राजा और मंत्रियों का अनुशासित जीवन – आचार्य कौटिल्य ने राजा के अनुशासित जीवन आचरण संहिता की व्यवस्था की थी। यह राजा के साथ साथ मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भी आवश्यक थी। सुशासन की स्थापना के लिए अनुशासित जीवन आवश्यक है। यही कारण कि भारत के प्रायः समस्त धार्मिक ग्रंथों में सबके लिए अनुशासित जीवन यापन पर बल दिया गया है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में सुशासन विद्यमान था क्योंकि मंत्री अधिकारी और अधिकांश नागरिकों का चरित्र (आचरण) अनुशासित था। वर्तमान समय में न तो अनुशासित और न ही चरित्र। इसलिए अब देश में शासन प्रशासन में सुशासन का पूर्णतः अभाव है।

5. राजा और लोक सेवकों का निश्चित वेतनमान – सभी लोक सेवकों के वेतन और भत्ते उचित और निश्चित होने चाहिए। आचार्य कौटिल्य ने राजा के लिए एक निश्चित वेतन का प्रावधान

किया था उससे अधिक कुछ नहीं। राजा के परिवार के सदस्यों को निश्चित वेतन दिया जाता था जिसमें मंत्रपरिषद की स्वीकृति के बिना वृद्धि नहीं की जा सकती थी। ग्रीस में कौटिल्य के समकालीन प्लेटो के शासकों को कोई निर्धारित वेतन व भत्ता नहीं मिलता था। शासक राज्य के खर्चे पर कार्य करते थे।

6. कानून व्यवस्था राजा का मुख्य कर्तव्य – कौटिल्य के अनुसार राजा को प्रजा की सेवा के लिए वेतन मिलता है। इसलिए राजा का मुख्य कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है जिससे लोगों के जीवन तथा स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। यदि इस दिशा में राजा लापरवाही वरतता है या उदासीन रहता है तो उसे इसका परिणाम भी भुगतना पडेगा। इसी प्रकार यदि नागरिकों की सम्पत्ति की चोरी होती है और वह प्राप्त नहीं है तो नुकसान की भरपाई राजा को अपने खजाने से करनी होगी। इस बिन्दू से यह स्पष्ट पता चलता है कि कौटिल्य सुशासन जैसे कारक को लेकर कितना सजग और गम्भीर हैं।

7. लेखपाल एवं लेखक की सम्मान जनक स्थिति – कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लेखक अथवा लेखपाल को विशेष महत्व प्रदान किया है। लेखक का समाज में उच्च स्थान था इसलिए वे अमात्य के समान थे। लेखक का चयन बडी ही सावधानी पूर्वक किया जाता था क्योंकि उनमें शाही आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति और रिट का प्रारूप लिखने की क्षमता का होना आवश्यक था। जैसा कि हम जानते वर्तमान समय में जो भी त्रुटिपूर्ण विधि निर्माण होता है उसे हमारी न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है।

8. अधिकारियों के विरूद्ध दण्ड की व्यवस्था – कौटिल्य के अनुसार सुशासन की स्थापना के लिए भ्रष्ट शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों व न्यायधीशों आदि के विरूद्ध निवारक और दण्डात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। भ्रष्ट आचरण के चलते प्रशासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग किया जाता है। अतः ऐसे लोक सेवकों पर कठोर नियंत्रण और निरीक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान समय की अपेक्षा कौटिल्य ने भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था थी।

9. सुयोग्य लोक सेवकों का चयन – आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सफल संचालन के लिए योग्य प्रशासकों व मंत्रियों के चयन का उल्लेख किया है। कौटिल्य का मानना था कि राजा को समय–समय पर योग्य मंत्रियों और लोक सेवकों का चयन करते रहना चाहिए।

10. कौटिल्य द्वारा प्रशासन की कुछ अन्य योग्यताओं का भी वर्णन किया गया है जोकि आज की प्रशासन व्यवस्था के लिए अनुकरणीय हैं। जैसे प्रशासन में एक रूपता, योग्य मंत्री, नेतष्त्व की क्षमता, बुद्धि सम्पन्नता, कर्मठता, अच्छा नैतिक आचरण व निर्णय करने में बिलम्ब न करना आदि का होना भी आवश्यक है।

विश्व बेंक और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन

वर्ष 1992 में विश्व बेंक द्वारा जारी अपनी शासन और विकास नामक रिपोर्ट में सुशासन अर्थात गुड गर्वनेंस को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आार्थिक, सामाजिक आयोग द्वारा एशिया पेसिफिक देशों में सुशासन की स्थापना के लिए 08 कारक सुझाए गये हैं यथा – 1 जबाबदेही 2 उत्तरदायित्व 3 पारदर्शिता 4 सूचना का अधिकार 5 विधि का शासन 6 जन सहभागिता 7 सहमति अभिमुख शासन 8 न्याय संगत एवं संयुक्त शासन

जबाबदेही – जबाबदेही व उत्तरदायित्व प्रशासन में एक अहम भूमिका का निर्वाह करने वाले शब्द हैं। इनमें मात्र सूचना का अधिकार व विधि का शासन और पारदर्शिता को और सम्मिलित कर दिया जाये तो उपरोक्त सभी गुंण सुशासन का आधार बन जाते है। जबाबदेही से आशय है कि प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपने सभी कार्यों के लिए जिन कार्यों को उन्हें सोंपा गया है के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होंगें। जिससे कि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि वे इस देश की जनता के सेवक हैं स्वामी नहीं। ऐसा होने से प्रशासन प्रशासकीय कार्यों और निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने सफल होगा।

उत्तरदायित्व – उत्तरदायित्व व जवाबदेह शब्द प्रशासन में लगभग समान रूप से प्रयुक्त किये जो हैं। और इनको सामान्य रूप से पर्यायवाची मान लिया जाता है। किन्तु ये शब्द पर्यायवाची न होकर अलग अलग हैं। इनमें जो सूक्ष्म अन्तर है वह यह है कि जहां जवाबदेह शब्द विधिक रूप लिए हुए है वहां उत्तरदायित्व शब्द नैतिकता का वोध कराता है। उत्तरदायित्व से हमारा अभिप्राय है कि प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी या हम कह सकते हैं कि जिस कार्य को जिस पदाधिकारी को सोंपा गया है उस कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर या कमी आने पर कमी त्रुटि का उत्तरदायित्व उसी पदाधिकारी का होगा और उस त्रुटि के लिए उसे ही दोषी ठहराया जायेगा किसी अन्य को नहीं।

पारदर्शिता – जिस प्रकार सुशासन के लिए जवाबदेही और उत्तरदायित्व आवश्यक है उसी प्रकार सुशासन के लिए पारदर्शिता भी आवश्यक है। पारदर्शिता से हमारा तात्पर्य है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी क्या और किस प्रकार से कार्य करते हैं या कर रहे हैं ? से जनता अर्थात नागरिकों को अवगत कराया जाये। सरकार द्वारा लिए जा रहे नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक मशीनरी द्वारा किये जा रहे कार्य उसी प्रकार जनता के सामने पेश होने चाहिए जिस प्रकार वह वास्तविक रूप में क्रियांवित हो रहे हैं।

सूचना का अधिकार – सामान्य रूप से सूचना का अर्थ जानने के अधिकार से लगाया जाता है। चुंकि सरकार का कुछ कार्य गोपनीय होता है। इसलिए सरकार के जिस कार्य को गोपनीय रखा जाना आवश्यक है उसी कार्य को गोपनीय रखा जाना चाहिए। न कि सरकार के हितों को साधने वाली सूचनाओं को। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लोकतांत्रिक देश में सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को जारी किये गये विश्व मानवाधिकारों की घोषणा में किया गया है।

विधि का शासन – विधि के शासन से आशय ऐसी शासन प्रणाली या कानून व्यवस्था से है जिसके अर्न्तगत प्रत्येक नागरिक के साथ राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाये। अर्थात सभी नागरिकों को समान रूप से कानूनी अधिकार व कानूनी संरक्षण प्राप्त हो।

जनसहभागिता – जनसहभागिता से आशय है कि जो विकास कार्य किसी भी स्तर पर जन कल्याण या विकास के लिए चलाये जा रहे हैं उन कार्यों में जनता को भी सहभागी बना लिया जाये। चाहे वे कार्य राजनीतिक हों, आर्थिक हों, या सामाजिक और सांस्कृतिक। ऐसा करने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को टाला या समाप्त किया जा सकेगा। तथा इससे कार्य अतिशीघ्र कुशल तरीके से संचालित हो सकेगा।

सहमति अभिमुख शासन – जन सहमति अभिमुख शासन से अभिप्राय है कि सरकार जो भी कार्य करती है वह जन स्वीकार्य और न्याय संगत होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार द्वारा जो नीतियां बनायी या निर्णय लिए जायें वह कुछ व्यक्ति विशेष के हितों को पूरा करती हों या विशेष लाभ पहुंचाती हों। आम सहमति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी नागरिकों की सामान्य न्यूनतम जरूरत पूरी की जा सकती है जो किसी भी नागरिक के लिए हानिकारक न हो। यह जन समुदाय के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए व्यापक सहमति के साथ साथ विभिन्न हितों की मध्यस्थता करता है।

न्याय संगत शासन – न्याय संगत शासन से तात्पर्य है कि शासन में सुशासन हो। शासकीय स्तर पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, भाषा व क्षेत्र विशेष के आधार पर कोई भेदभाद न किया जाये। सरकार, द्वारा जनता के विकास के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ राज्य के सभी नागरिकों को प्राप्त हो। राज्य का कोई भी नागरिक सरकारी योजनाओं से अछुता या वंचित न रहे।

सुशासन के समक्ष प्रमुख चुनौतियां :

भ्रष्टाचार – शासकीय और प्रशासकीय भ्रष्टाचार सुशासन और विकास के मार्ग में आाने वाली सबसे बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें जनप्रतिनिधि या शासकीय वर्ग के लोग व प्रशासकीय अधिकारी और कर्मचारीगण धन के लालच में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। पद की आड़ में धन लेकर अनुचित और अवैध या असंवैधानिक कार्यों को संपादित करते हैं। साथ ही सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रयोग व्यक्तिगत, स्वहित में जनसामान्य की उपेक्षा करते हैं, तथा अपने आप को जनसेवक न समझकर जनस्वामी समझकर कार्य करने की मनोवृत्ति से भी ग्रसित होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सी0पी0आई0) 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 38 है, जो पिछली रेंकिंग 93 से 03 अंकों की गिरावट दर्शाता है, जिसका अभिप्राय है भ्रष्टाचार में वृद्धि होना। अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में भारत में भ्रष्टाचार बड़ा है न कि कम हुआ है। साधारण शब्दों कहा जाये तो ग्राम पंचायत सचिवालय, नगर पंचायत/पालिका कार्यालय, पुलिस थाने, क्षेत्र पंचायत, विकास खन्ड, तहसील, जिला पंचायत, जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायलय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, स्कूल, कालेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बिजली विभाग, पी0डब्लू0डी0, सड़क परिवहन विभाग, सरकारी राशन की दुकानें, बेंक, पेंशन, भर्ती चाहे वे आउट सोर्स पर हो या सरकारी विभाग, स्वास्थ्य केन्द्रो से लेकर राज्य और राष्ट्रीय विधायिका, सरकार/कार्यपालिका, सचिवालय, न्यायपालिका और सेना सभी में सभी स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर व्याप्त और विद्यमान है। सभी स्तरों पर देश के नागरिकों को अपना वैध कार्य कराने के लिये भी रिश्वत, डोनेशन या सेवा शुल्क देना होता है।

नौकरशाही या अफसरशाही (लालफीताशाही) – सुशासन के मार्ग में आने वाली दूसरी सबसे बड़ी चुनौती नौकरशाही/अफसरशाही या लालफीताशाही है। यही वह कारक है जो सुशासन के मार्ग में बहुत सारी औपचारिकताओं की दीवार खड़ी कर देता है। जिसके चलते विकास से

सम्बंधित कार्य, योजनायें, फाईलें या दस्तावेज सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की मेजों/टेबलों पर पड़ी धूल खाती रहती हैं। क्योंकि यहां सभी काम पदसोपान और कार्य विशेषीकरण के अनुरुप ही सम्पन्न होते हैं। यहां कार्य व्यक्ति की भावना या महत्व को दर्षष्टि में न रखकर प्रशासकीय औपचारिकताओं को दर्षष्टि में रखकर किया जाता है। इसीलिए कोई भी विकास कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो पाता और परिणाम ये होता कि कार्य की लागत मूल लागत से कई गुने बड़ जाती है, जिसका भार देश के आम नागरिक पर पड़ता है, जोकि उसे टैक्स या कर के रुप में चुकाना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपना कार्य इमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ व बगैर सेवा शुल्क लिए नहीं कर रहा है। इसलिए सरकारी कार्यालयों में फाईलों का ढेर या अम्बार लगा पड़ा है। अब लोक सेवक लोक सेवक न रहकर लोक स्वामी बन गया है तथा लोक स्वामी अर्थात जनता लोक सेवकों की दास बनकर रह गयी है। यही कारण है कि नौकरशाही को उपहास स्वरुप मेज का शासन या लालफीताशाही कहा जाता है।

अशिक्षा और राजनीतिक जागरुकता का अभाव

अशिक्षा और राजनतिक जागरुकता का अभाव भी सुशासन के मार्ग में उतना ही बड़ा अवरोध या चुनौती है जितने कि भ्रष्टाचार और नौकरशाही। भ्रष्टाचार और नौकरशाही के साथ हमें अशिक्षा और राजनीतिक जागरुकता के अभाव की समस्या को भी बुनियादी रुप से खत्म करना होगा। चुंकि अशिक्षा के अभाव में जनता न तो शासकीय और प्रशासकीय कार्यों में ठीक से भागीदारी और सहयोग कर पाती है और न ही जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक मशीनरी के साथ उचित प्रकार से क्रिया कलाप कर पाती है। अशिक्षा और जागरुकता के अभाव में जनता इस बात से भी अनभिज्ञ होती है कि भारतीय संविधान में उनके लिए क्या अधिकार और प्रावधान किये गये हैं। सरकार, न्यायपालिका, विधायिका और प्रशासनिक मशीनरी का गठन जनता के लिए किया गया है नकि शासकों और प्रशासकों के लिए। और न ही नागरिकों को इस बात का भान होता है कि शासकीय स्तर पर उसके विकास और कल्याण के लिए कितनी योजनायें और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसी अज्ञानता के चलते जनता तक समुची विकास कार्यक्रम और योजनायें नहीं पहुँच पाती हैं जिनका लाभ आम आदमी/नागरिक नहीं ले पाता है।

कार्यपालिका की अकर्मन्यता

कार्यपालिकायी अकर्मन्यता भी सुशासन के मार्ग में अभिशाप का कार्य करती है। कार्यपालिकायी अकर्मन्यता से अभिप्राय है कि हमारी जो शासकीय कार्यपालिका है वह उचित समय पर उचित कार्यों को किर्यान्वित नहीं करती। वह कार्यों के प्रति टरकाउ या टालने की प्रवृत्ति अपनाती है, जिसकी बजह से कोई भी कार्य समय पर सम्पादित नहीं हो पाता है। अतः विधायिका द्वारा जिस प्रकार और जिस तत्परता से नीति – निर्माण किया जाता है, उसी तत्परता से शासकीय और प्रशासकीय कार्यपालिका द्वारा उसका तत्काल और ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं किया जाता जिसकी बजह से प्रशासकीय मशीनरी या कार्यपालिका भी अपने कार्यों का क्रियान्वयन नहीं करती। इस प्रकार विकास कार्य जिनके लिए नीति निर्माण किया जाता है वही वर्ग उपेक्षित हो जाता है। तथापि शनैः–शनैः कार्यपालिकायी अकर्मन्यता स्थापित हो जाती है जिसकी बजह से सभी विकास कार्य परोक्ष या प्रत्यक्ष

रुप से प्रभावित होते हैं। अतः जब जक कार्यपालिकायी अकर्मन्यता को समाप्त नहीं किया जाता तब जक शासन और प्रशासन में सुशासन स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता।

राजनीतिक अस्थिरता और अवसरवादिता

राजनीतिक अस्थिरता और अवसरवादिता से हमारा आशय है कि जब कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल एक बार जनप्रतिनिधि बन जाता है या जनता द्वारा जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है, तो वह इस अवसर का लाभ उठाने के लिए या उठाते हुए संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धान्तों की परवाह किए बगैर मंत्री पद धारण करने व अधिक से अधिक धन और राजनीतिक शक्ति अर्जित करने के लिए आासानी से दल बदल कर लेता है। जिससे कि उसका और उसकी संतान का भविष्य सुरक्षित हो जाये। ऐसी अवस्था में सरकारें अस्थिर व नौकरशाही निरंकुश और बेलगाम हो जाती है जिससे शासन/प्रशासन में सुशासन स्थापित करने का लक्ष्य प्रभावित हो जाता है। राजनीतिक अवसरवादिता न सिर्फ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को पोषित पल्लवित करती है अपितु यह जनता के विकास और कल्याण के लिए संचालित की जा रहीं योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पात्र नागरिकों को प्राप्त नहीं होने देती है।

राजनीति का अपराधीकरण

राजनीतिक का अपराधीकरण का अभिप्राय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का चुनाव लड़ना, संसद/विधान सभा में पहुॅचना और सरकार तथा नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल होना है। स्वतंत्र भारत की व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतीय राजनीति में निरंतर अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भागीदारी, भूमिका और हस्तक्षेप में वृद्धि हुई है। इसी वजह से विधायिका और कार्यपालिका में बाहुबली, धनबली, हत्यारे, बलात्कारी व माफिया तथा ऐसे लोग जो मानव समाज के लिए खतरा हैं की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये लोग धनबल व बाहुबल के सहारे जनता को डरा धमका कर आसानी से चुनाव जीत जाते हैं और विधायिका में पहुॅचने पर अपने हितों की रक्षा का उपाय खोजते हैं न कि जनसामान्य या राष्ट्रीय सुरक्षा के उपाय। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रटिक रिफॉर्म्स (ए0डी0आर0) के 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के ताजा आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में भारतीय संसद में नवनिर्वाचित 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 सदस्यों लगभग (46 प्रतिशत सदस्यों) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और उनमें 27 को दोषी ठहराया जा चुका है। ए0डी0आर0 का कहना है कि लोकसभा के इतिहास में यह सबसे बड़ी संख्या हैं। इससे पूर्व में यह संख्या 2019 में 233 (43प्रतिशत) सदस्य, 2014 में 185 (34प्रतिशत) सदस्य, 2009 में 162 (30प्रतिशत) सदस्य, और 2004 में 125 (23प्रतिशत) सदस्य थी। ए0डी0आर0 ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस साल 2024 में जीतने वाले 251 उम्मीदवारों में से 170 पर रेप, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंम्भीर अपराधिक मामले दर्ज हैं। अब इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संसद में अपराधियों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई तो राज्य विधान सभाओं में अपराधी कितनी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे।

राजनीतिज्ञों प्रशासनिक मशीनरी एवं अपराधियों के मध्य गठजोड़

जहां सुशासन के लिए राजनीतिक और प्रशासकीय तटस्थता आवश्यक है वहीं यह भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो जाता है कि प्रशासनिक मशीनरी या अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों

के तध्य तटस्थता के स्थान पर बड़े ही नजदीकी या पारिवारिक संबन्ध या गठजोड़ होता हैं। इतना ही नहीं अब तो इस गठजोड़ में संगीन अपराधी और आपराधिक प्रवर्षत्ति व पृष्ठभूमि के लोग भी शामिल हो गये हैं। ये लोग अपनी पदीय शक्ति और अधिकारों का प्रयोग जनहित या कल्याण के लिए न करके एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए करते हैं। जिसका परिणाम नौकरशाही, नकारात्मक राजनीति व अपराधीकरण के रुप में सामने आता है। अतः राजनीतिक तटस्थता के सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर ही रेम्जेम्योर ने अपनी कर्षति (हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड) में लिखा है कि ''नौकरशाही मंत्रियों की छत्रछाया में ही पनपती है''। जिसकी बजह से प्रशासकीय भ्रष्टाचार अकर्मन्यता और अपराधीकरण की प्रवृत्ति परिपोषित होती है। इस अवस्था में प्रशासकीय, शासकीय व सुशासन का सिद्धान्त पूरी तरह से किनारे या धराशायी हो जाता है।

स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक सुधार या सुशासन की स्थापना के लिए गठित की गयीं समितियां और आयोग –

स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई। इसके तथा विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रशासकीय सुधारों की आवश्यकता तीव्रता से अनुभव की गयी। अतः तत्कालीन केन्द्रीय व राज्य सरकारें इस समय यह महसूस कर रहीं थीं कि उन्हें नवीन राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने और जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं के अनुरूप विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन में अनेक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस पर विचार करने के लिए केंन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर कई समिति और आयोगों का गठन किया गया। जैसे –

1 सचिवालय पुनर्गठन समिति या बाजपेयी समिति 1947, 2 मित्तव्ययिता समिति 1948, 3 आयंगर समिति 1949, 4 गोरवाला प्रतिवेदन 1951, 5 गोपाल स्वामी प्रतिवेदन 1952, 6 पाल एच एपिलबी 1952, 7 के संथानम समिति प्रतिवेदन 1962, 8 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, 9 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 आदि।

वर्तमान में जिस प्रकार ठेकेदारों इंजीनियरों, एम0एल0ए0, एम0पी0, नौकरशाहों, मंत्रियों, और न्यायधिशों के घरों में सोना, चॉदी और नोटों का अम्बार या ढेर मिल रहा है, और सरकार जिस प्रकार पी0एम0 केयर फन्ड व इलेक्टोरल बॉड के नाम पर चंदा ले रही है उससे ये जाहिर हो जाता है कि भारत में सुशासन केवल आम जनता को दिखावे के लिए है वास्तविकता में नहीं।

सन्दर्भ

1. डॉ0 टेकचन्द रत्न : पंचायतीराज संस्थाओं की सफलता में सुशासन की भूमिका, प्रकाशकः अनु बुक्स मेरठ, पृ0सं0–10–16, वर्ष 2023
2. आर सी शेखर : सुशासन के अन्य नाम, आई0 जे0 पी0 ए0 जुलाई – सितम्बर 1998
3. बी0 के0 : परिभाषित सुशासन, आई0 जे0 पी0 ए0 में प्रकाशित संपादकीय अंश 1998
4. विश्व बैंक : सुशासन, विश्व बैंक के अनुभव, वाशिग्टंन डी0सी0 विश्व बैंक प्रकाशन, 1994
5. अवस्थी एंड अवस्थी : लोक प्रशासन के सिद्धांत ।

6. बी0 एल0 फाडिया : लोक प्रशासन, सिद्धांत एवं व्यवहार।
7. एल0 एन0 शर्मा व सुष्मिता शर्मा : कोटिल्य द्वारा बताए गये शासन के सूचक आई0 जे0 पी0 ए0 में प्रकाशित संपादकीय अंश नई दिल्ली vol xliv no – 3
8. इनसाइट आईएएस सम्वाददाता, 18 मार्च 2025
9. डिजिटल करंट अफेयर्स ए0डी0आर0 रिपोर्ट 05 सितम्वर 2025